न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/1782/2003/हनुमानगढ़

1–सुरेन्द्र
2–जगतपाल
पुत्रगण भीमसिंह जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ
3 मु0 लिछमा बेवा भीमसिंह जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ

अपीलाण्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार(राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ ।

रेस्पोडेण्ट

खण्डपीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थित
श्री प्रदीप नेहरा, अभिभाषक अपीलाण्ट।
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राज0अभिभाषक।
श्रीमति पूनम माथुर, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं01के।

निर्णय

दिनांक 12.2.2020

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–2–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर, भादरा के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि चक नंबर 11 बीएचडी तहसील भादरा के मुरब्बा नंबर 26 के किला नंबर1,2,3,4,7,8,9,10,11,13,14, कुल 11 किता भूमि वादीगण नंबर 1 व 2 के पिता व वादिया के पति भीमसिंह एवं उससे पहले उसके दादा थी । उक्त भूमि पहले राजस्व रिकार्ड में आराजीराज थी ।

संवत 2002 से पूर्व से उनके पूर्वजों एवं उनके द्वारा उक्त आराजी पर काश्त व लगान अदा की जाती रही है । अतः वादीगण खातेदार काश्तकार है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय भी वादीगण के दादा के कब्जे काश्त में थी मगर राजस्व रिकार्ड में आराजीराज थी । इस कारण प्रतिवादी तहसीलदार अपीलाण्ट/वादी को विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में जोहड पायतन दर्ज होने से वादीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जबकि मौके पर मूंग व बाजरा की फसल काश्त है । अतः वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे । उक्त दावे का जबावदावा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

दावे व जबावदावे के आधार पर तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार हैः–

1–आया चक नंबर 11 बीएमडी के मुरब्बा नंबर 26 में किला नंबर 1से 4 सात से ग्यारह व 13, 14 कुल 11 किता भूमि रोही मौजा डोबी में संवत 2002 से वादीगण के पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त में चली आ रही है ।

वादीगण

2– आया वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ।

वादीगण

3– आया डोबी बारानी उपनिवेशन क्षेत्र में है या नहीं

प्रतिवादी

3– सहायता

सहायक कलेक्टर, भादरा जिला हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16–1–2002 द्वारा अपीलाण्ट/वादी का वाद स्वीकार कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया ।

विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 16–1–2002 के विरूद्व रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमागनढ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 13–2–2003 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कर दिया । राजस्व अपील

प्राधिकारी के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 13-2-2003 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने सर्वप्रथम आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 का प्रस्तुत कर दस्तावेज रिकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया । उन्होंने बहस में तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि दस्तावेजों से साबित है कि उक्त भूमि पर लगातार वादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है। प्रदर्श पी 15 जमाबन्दी संवत 2006 भादर पुत्र राउ के नाम दर्ज है । पटवारी ने जो रिपोर्ट तस्दीक की है उसमें भी उक्त विवादित भूमि वादीगण के पिता भीमसिंह के कब्जा काश्त अंकित है । रेस्पोडेण्ट का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी कब्जा वादीगण का माना है फिर भी अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों रिकार्ड एवं साक्ष्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है । अतः अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय निरस्त कर विचारण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे।

4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस में तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय एवं बाद में भी कब्जा वादीगण का नहीं था वर्तमान में भूमि आराजी एवं जोहड पायतन दर्ज है । अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं है । उनके द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से उक्त भूमि हथियाने की चेष्टा की है । विचारण न्यायालय द्वारा रेकार्ड के विपरीत दस्तावेजों की अनदेखी कर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तनकीवार एवं विधिसम्मत है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

6. सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाता है । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध एक राजस्व वाद बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर, भादरा के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि चक नंबर 11 बीएचडी तहसील भादरा के मुरब्बा नंब0 26 के किला नंबर1,2,3,4,7,8,9,10,11,13,14, कुल 11 किता भूमि वादीगण नंबर 1 व 2 के पिता व वादिया के पति भीमसिंह एवं उससे पहले उसके दादा थी उक्त भूमि पहले राजस्व रिकार्ड में आराजीराज थी । संवत 2002 से पूर्व से उक्त आराजी पर काश्त व लगान अदा की जाती रही है । अतः वादीगण खातेदार काश्तकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय भी वादीगण के दादा के कब्जे काश्त में थी मगर राजस्व रिकार्ड में आराजीराज थी । इस कारण प्रतिवादी तहसीलदार राजस्व रिकार्ड में जोहड पायतन दर्ज होने से वादीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जबकि मौके पर मूंग व बाजरा की फसल काश्त है अतः वादी को खातेदार घोषित किया जावे । तहसीलदार द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जो जबावदावा प्रस्तुत किया गया है उसमें स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त विवादित भूमि आराजीराज एवं जोहड पायतन दर्ज है प्रार्थीगण का कब्जा विवादित भूमि पर एक अतिक्रमी की हैसियत से है इसलिए खातेदारी नहीं दी जा सकती । संवत 2006 से 2009 में विवादित भूमि आराजी गैर मकबूजा दर्ज है । खसरा गिरदावरी संवत 2016 में प्रान्तीय सरकार 2020, 2022 2026,2030 2033, एवं वर्तमान जमाबन्दी संवत 2054 में विवादित भूमि आराजीराज एवं जोहड पायतन दर्ज है । इस तथ्य को अपीलाण्ट/वादी द्वारा अपने वाद पत्र में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। रेस्पोडेण्ट द्वारा पूर्ण रूप से सभी जमाबन्दियों से विवादित भूमि को आराजी राज एवं जोहड पायतन सिद्ध किया है एवं जोहड पायतन की

भूमियों पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16(2) के तहत् नियमन/आवंटन से प्रतिबंधित है तथा किसी व्यक्ति की गैर खातेदारी/ खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती है। अपीलाण्ट द्वारा इसके विपरीत अपने समर्थन में किसी प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने सभी तनकियों पर अपना विस्तृत निर्णय पारित किया है । उन्होंने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि जमाबन्दी संवत 2006 में उक्त भूमि खसरा नंबरों में अंकित है व भादर वल्द राउ के नाम दर्ज है परन्तु उक्त दस्तावेज मे कुल 57.17 बीघा भूमि दर्ज है विवादित भूमि किस खसरा की है इस संबंध में कोई खसरा परिवर्तन प्रस्तुत नहीं किया । अपीलाण्ट द्वारा किसी भी साक्ष्य से अपना वाद सिद्ध नहीं कर पाया है उन्होंने अपने निर्णय में अपीलाण्ट का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय होना नहीं पाया है एवं दस्तावेजो के अभाव में विचारण न्यायालय द्वारा गलत रूप से वाद डिक्री कर दिया जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक रूप से अपास्त कर रेस्पोडेण्ट राज्य सरकार की अपील को स्वीकार किया था जिसमें ऐसी किसी प्रकार की तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती जिससे कि द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जा सके । अतः अपील खारिज योग्य है । उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमागनढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–2–2003 बहाल रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य